लोक सुनवाई का वृत।

श्री आलोक कुमार, पिताः श्री जय सिंह, ग्राम–विरहा, पी.ओ–बिगहा, थाना–हुलासगंज, जिला–जहानाबाद द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालूघाटः ब्लॉक नंबर–15, मौजा–रूस्तम चक, अंचल–रतनीफरीदपुर, जिला–जहानाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर जिला–जहानाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2283/2023, dated 03.02.2023 के आलोक में श्रीमति सुधा गुप्ता, अपर समाहर्ता, जहानाबाद (जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, रतनीफरीदपुर, जिला–जहानाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 12.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालूघाटः ब्लॉक नंबर–15, मौजा–रूस्तमचाक, अंचल–रतनीफरीदपुर, जिला–जहानाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदया द्वारा लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितिश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खननपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतःहैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री मणि कुमार, ग्रामः मुरहारा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन अवधि के अंतराल में कम–से–कम 500 से 600 वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त सुझाव को परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री सुबोध कुमार, ग्रामः मुरहारा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा बालू खनन की राशि जो सरकार को जाता है, तो गॉव को किस प्रकार से उस राशि का फायदा होगा; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन के दौरान दो प्रतिशत की जो राशि सरकार को जमा होता है उस राशि का स्थानीय विकास कार्य में योजनाबद्व तरिके से जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त खर्च किया जाता है। इस प्रकार श्री सुबोध कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री सतेन्द्र प्रसाद, ग्रामः ज्ञानी बीगहा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया

		जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री मुकेश कुमार, ग्रामः मुरहारा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा बतलाया गया कि खनन प्रारंभ होने के समय वाहनों को ढक कर ले जाया जाता है, परन्तु बाद में खुले हुए वाहनों में ले जाया जाता है और साथ ही रातों में बालू का अवैध खनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा तथा रात में बालू का खनन नही किया जायेगा अगर ऐसा लेसी द्वारा किया जाता है तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से किया जा सकता है। शिकायत सत्य होने पर जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री लालबाबु कुमार, ग्रामः मुरहारा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा बच्चो को स्कुल जाने के समय बालू परिवहन से हो रहे सड़क जाम एवं दुधर्टना होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बच्चों को स्कुल जाने एवं आने के समय बालू लदे वाहनो का परिचालन नहीं किया जायेगा। अगर बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस कम में दिनांकः 15.08.2021 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इस प्रकार श्री लालबाबु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर

		संतुष्ट किया।
6.	श्री गुड्डु कुमार, ग्रामः रूस्तम चक, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन घाट के आस–पास स्थानीय नागरीकों को पानी पीने के लिए चापाकल एवं बोरिंग की व्यवस्था होनीं चाहिए। उपरोक्त सुझाव को परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर गहराई तक ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालूघाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,
गया

अपर समाहर्ता,
जहानाबाद

<u>उपस्थिति सूची</u>

श्री आलोक कुमार, पिताः श्री जय सिंह, ग्राम—विरहा, पी.ओ—बिगहा, थाना—हुलासगंज, जिला—जहानाबाद द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालू घाटः ब्लॉक नंबर—15, मौजा—रूस्तम चाक, अंचल—रतनी फरीदपुर, जिला— जहानाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 16.08.2023 को 11:00 बजे पर्वाह्न में अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर, जिला—जहानाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुधा गुप्ता	अपर समाहर्ता जहानाबाद	[signature] 16.08.23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	जिला पदाधिकारी प्रति. [illegible]	[signature] 16.8.23
3.	Navendu Singh	MDO, Jehanabad	[signature] 16/08/23
4.	Mithilesh Kumar	Mines Inspector DMO, Jehanabad	Mithilesh 16.08.23
5.	Nitish Kumar	P & M Solution, Noida. (Env. Consultant)	Nitish Ku
6.	रुपेश कुमार	ग्राम धोजन	Rupesh Kumar 9430010057
7.	सुबोध कुमार	ग्राम मुरहारी	Subodh Kumar
8.	मणी कुमार	ग्राम मुरहारी	मणी कुमार
9.	सोनु कुमार	ग्रा० धोजन	सोनु कुमार

10.	रौशन कुमार	ग्राम - गोपालपुर	Raushan kumar
11.	प्रियरंजन कुमार	ग्राम गोपालपुर	प्रिय रंजन कुमार
12.	जितेन्द्र कुमार	ग्राम - मुरहारा	[illegible]
13.	दुर्गेश कुमार	ग्राम - खसतमचक	Durgesh kr
14.	राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम - गोपालपुर	राजेन्द्र
15.	पवन	ग्राम - खसतमचक	पवन
16.	गुड्डू कुमार	ग्राम - खसतमचक	गुड्डू कुमार
17.	प्रकाश रंजन	ग्राम - मुरहारा	Baby [illegible]
18.	Akash kumar	Village - Gopalpur	Akash kumar
19.	राजेश कुमार	ग्राम खसतमचक	राजेश कुमार
20.	राहुल कुमार	ग्राम - गोपालपुर	राहुल कुमार

21.	राम तलकराम जी	ग्राम मुरहुआ पुर	रामतलकराम जी
22.	अरविन्द द्विवेदी	ग्राम गोपालपुर	अरविन्द द्विवेदी
23.	विनोद शर्मा	ग्राम मुड़हारा	विनोद शर्मा
24.	जयराम बिन्द	ग्राम रोसतमचक	जयराम बीन्द
25.	अशोक जायसवाल	रोसतमचक	[illegible]
26.	जगदत्त कुमार	रोस्तम चक	जगदत्त कुमार
27.	अजय बिन्द	रोस्तम चक	अजय बिन्द
28.	Shubham	गोपालपुर	Shubham
29.	राहुल कुमार	ग्राम मुड़हारा	राहुल कुमार
30.	लव कुमार	ग्राम - गोपालपुर	L. Kumar
31.	अतुल कुमार	ग्राम गोपालपुर	Atul

32.	लाल बाबु	मुरहारा	लाल बाबु
33.	संदीप कुमार	[illegible]	[illegible]
34.	मनीष यादव	[illegible]	[illegible]
35.	कलिन्द्र कुमार	धोजन	कलिन्द्र कुमार
36.	अविनाश कुमार	[illegible]	[illegible]
37.	अंजनी कुमार	गोपालपुर	Anjani kr.
38.	अंकज कुमार	[illegible]	अंकज कुमार
39.	[illegible] Kumar	Gopalpur	[illegible]
40.	अभिषेक कुमार	धोजन	अभिषेक कुमार
41.	Gopal Kumar	[illegible]	Gopal Kumar
42.	राजमती	गोपालपुर 2	[illegible]
43.	मुखिया मांझी	धोजन	
44.	करील पासवान	मुरहारा	
45.	Alok Kumar	[illegible]	Alok Kr
46.			